मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।

विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

एम.एस.ई.एफ.सी./308
दिनांक 23/06/2020

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी./920/2019

आवेदक
मेसर्स सीनेट इंफोटेक प्रा.लि.,
ई–5/4, IInd अरेरा कॉलोनी,
भोपाल।

विरुद्ध

अनावेदक
सेन्टर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टॉफ परफॉरमेंस (CRISP),
मानस भवन के सामने,
भोपाल।

अन्तिम सुनवाई दिनांक 30.10.2019

(माध्यस्थम आदेश दिनांक ~~18~~ 23.06.2020)

आवेदक मेसर्स सीनेट इंफोटेक प्रा. लि., भोपाल द्वारा दिनाँक 23.04.2019 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनाँक 23.04.2019 को, अनावेदक सेन्टर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टॉफ परफॉरमेंस (CRISP), मानस भवन के सामने, भोपाल के विरूद्ध विलंबित संदाय मूलधन राशि रु. 1,51,62,073/– (रुपये एक करोड़ इन्क्यावन लाख बासठ हजार तिहत्तर मात्र) और इस राशि पर, अपाईन्टेड डे दिनांक से दिनांक 23.04.2019 तक दंड ब्याज राशि रुपये 75,73,670/– (रुपए पिचहत्तर लाख तिहत्तर हजार छः सौ सत्तर केवल) कुल राशि रुपये 2,27,35,743/– (रुपए दो करोड़ सत्ताईस लाख पैंतीस हजार सात सौ तिरयालिस केवल) हेतु कौंसिल के समक्ष दिनांक 26.04.2019 को दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

दावा आवेदन पत्र के अनुसार आवेदक एव अनावेदक के मध्य राजीव गांधी प्राद्यौगिक विश्वविद्यालय (RGPV) भोपाल के विश्वविद्यालय पोर्टल पर, ई–गवर्नेंस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दो अनुबंध दिनांक 01.07.2010 और दिनांक 28.09.2012 को निष्पादित किये गए थे, जिसके अनुसार आवदक को गुणवत्ता आश्वासन और ई–गोव एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस टेस्टिंग, प्रबंधित डेटा सेन्टर, सेवा आपदा रिकवरी कॉन्फिगरेशन के साथ कॉल सेवा केंद्र (संचालन और रखरखाव), तकनीकी समर्थन शक्ति, पोर्टल का डिजिटल और भौतिक प्रचार एवं डोमेन विशेषज्ञ की तैनाती का कार्य संपादित करना था।

आवेदक ने आवेदन में यह भी प्रस्तुत किया है कि वह अनावेदक को अनुबंध क्रमांक CRISP/IT/RGPV/

.....2

Scanned by CamScanner

E-Gov/1110/815,दिनांक 01.07.2010 एवं अनुबंध क्रमांक CRISP/IT/RGPVPoly/Egov/2409, दिनांक 28.09.2012 के आधार पर सेवाऐ दे रहा था। अनावेदक द्वारा पत्र क्रमांक CRISP/RGPVPROJ/2016-17/1488, दिनांक 24.11.2016 आवेदक को प्रेषित कर समान दर एवं टर्म्स एव कंडीशन पर अनुबध अवधि को आगामी तीन वर्षो के लिये बढ़ाने का प्रस्ताव आवेदक को दिया गया, जिसे आवेदक द्वारा पत्र क्रमांक C-Net/CRIS/16-17/D749/061, दिनांक 26.11.2016 से स्वीकार किया। आवेदक द्वारा वर्ष 2016—17 में 28 फरवरी 2017 तक प्रदत्त सेवाओं हेतु अनावेदक को प्रस्तुत देयको एवं प्राप्त भुगतान का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र	ईन्वाईस क्रमांक एवं दिनांक	इन्वाईस की राशि	इन्वाईस राशि के विरूद्ध प्राप्त राशि	शेष राशि
1	CNET/2016-17/JAN-021, 27.01.2017	1763915.80	1503294.00	260621.80
2	CNET/2016-17/MAR-0033, 31.03.2017	9808740.40	—	9808740.40
3	CNET/2016-17/MAR-0034, 31.03.2017	937956.50	—	937956.50
4	CNET/2016-17/MAR-00335, 31.03.2017	2350212.25	—	2350212.25
5	CNET/2016-17/MAR-0036, 31.03.2017	2065164.00	1300000.00	765164.00
	योग:—	16925988.95	2803294.00	14122094.95

आवेदक के अनुसार, आवेदक द्वारा 27.11.2018 को आवेदक की सेवाएं समाप्त कर दी, जिससे कि पूर्वोक्त अनुबंधों की शर्तों का उल्लंघन हुआ और आवेदक के कथित बिलों का भुगतान भी रोक लिया गया।

अनावेदक ने दावा आवेदन पत्र के जवाबदावे में आवेदक के दावे और प्रकथन को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है और कहा है कि आवेदक का दावा गलत, तुच्छ और खारिज करने लायक है। उन्होंने तकनीकी आधार पर विभिन्न अवसरों पर आवेदक द्वारा सेवाओं की कमी और समझौतों के बार—बार उल्लंघन का आरोप लगाया है। अनावेदक ने अलग—अलग पत्राचार में दस्तावेजी साक्ष्य जोड़ दिए हैं जैसे कि आवेदक को सेवा की कमियों को उजागर करने के लिए लिखे गए मेल आदि एवं उन्ही के एक विशेषज्ञ श्री अभिनव दुबे और उनके तकनीकी प्रमुख श्री संदीप जैन आईटी हेड का एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

..........3

Scanned by CamScanner

अनावेदक ने आवेदक द्वारा सेवा में कमी एवं आवेदक के वेतन, मुआवजे आदि में किए गए ओवरहेड्स का भुगतान के कारण जो नुकसान उठाया है, के सम्बन्ध में काउंटर क्लेम हेतु प्रार्थना की है।

अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के बिन्दु क्रमांक 6 में माईक्रसाफ्ट सर्वर पेमेन्ट्स, पिटीशनर स्टॉफ सेलरिस, तथा डायरेक्ट पेमेन्ट टू पिटीशनर को कुल राशि रू. 52,73,057/– का भुगतान करने का विवरण प्रस्तुत किया है, जिसमें से अनावेदक द्वारा आवेदक की ओर से कुल राशि रू. 16,90,370/– का भुगतान माईक्रोंसाफ्ट सर्वर हेतु तथा राशि रू. 35,82,687/– का भुगतान सीधे आवेदक को तथा आवेदक के स्टॉफ के वेतन आदि पर किया गया है।

आवेदक के दावे की प्राप्ति पर काउंसिल ने दलों के बीच सुलह की कार्यवाही करने के लिए विभिन्न तारीखों 25.04.2019 04.06.2019, 05.07.2019, 05.08.2019, 09.08.2019 और 30.10.2019 को सुनवाई की।

उभयपक्षों में सुलह के लिए परिषद ने एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 18 के तहत परिकल्पित की गई प्रक्रिया का पालन किया, लेकिन दुर्भाग्य से उभयपक्षो के बीच सुलह नहीं हो सकी और सुलह की कार्यवाही 5 जुलाई 2019 को बंद कर दी गयी।

परिषद ने अंत में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत मध्यस्थता का आयोजन किया और दोनों पक्षों के साक्ष्य और प्रकथन के मूल्यांकन के बाद परिषद ने प्रकरण को अंततः 30 अक्टूबर 2019 को माध्यस्थम आदेश पारित करने हेतु रख लिया ।

आवेदक के दावा आवेदन पत्र एवं अनावेदक के उत्तर तथा आवेदक का पुनः उत्तर एवं अनावेदक का पुनः उत्तर के उत्तर का परीक्षणोंपरान्त निम्न वाद हेतु, विवाद परिलक्षित होते है :–

अ. अनुबंध आधार पर आवेदक की ओर से सेवा मे कमी थी अथवा नही।

ब. अनुबंध आधार पर आवेदक को विलंबित राशि के भुगतान की पात्रता है या नही।

परिषद द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के मूल्यांकन कर, विशेषकर दिनांक 26 नवंबर 2016 के पत्र के अनुसार, अनावेदक द्वारा बिना किसी विवाद और विरोध के आवेदक के अनुबंध को मौजूदा नियम और शर्त पर तीन साल के एक और कार्यकाल के लिए बढ़ाते हैं अर्थात प्रतिवादी चल रही सेवाओं से कम –अधिक संतुष्ट है। अनावेदक आवेदक के द्वारा किए गए नुकसान या सेवा में कमी के संबंध में तकनीकी रूप से ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित करने में सक्षम नहीं हो पाए है। आवेदक द्वारा समझौते का उल्लंघन अगर प्रतिवादी के प्रमुख मुद्दों के साथ है तो समझौते के निष्पादन के संबंध में और विस्तार करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इसलिए

.....4

Scanned by CamScanner

परिषद के अनुसार आवेदक द्वारा सेवाओं में कमी के संबंध में प्रतिवादी जो आरोप लगाता है वह अस्पष्ट और विरोधाभासी प्रतीत होता है और किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं होने के कारण निराधार है।

अब आवेदक के शेष दावे में यह ध्यान दिया गया है कि पंजाब नेशनल बैंक को भेजे गए पत्र दिनांक 21 अप्रैल 2017 एवं 7 मार्च 2018 से स्पष्ट है कि अनावेदक ने सेवा कर एवं आवेदक द्वारा उठाए गए रुपये 1,31,96 993/– के बिलों की प्रतिपूर्ति के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की है, जिससे पुनः अनावेदक की ओर से देयता का होना प्रतीत होता है।

आवेदक के मूल दावे परीक्षण करने पर परिषद को मूल राशी के दावे के संबंध में एक विसंगति सामने आई है कि याचिका में दावा की गयी कुल बिल राशि 1,51,62,073 रुपए है, जबकी ब्याज प्रमाण पत्र दिनांक 31 दिसंबर 2019 एवं सीए प्रमाणित लेजर जो आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसमे प्रतिवादी द्वारा किए गए सभी भुगतानों में कटौती के बाद कुल रुपये 1,41,22,693/– शुद्ध मूलधन राशि दर्शित है। परिषद दावा करने के उद्देश्य से विचार करके ब्याज प्रमाण पत्र में उल्लेखित 1,41,22,693/– (रू. एक करोड़ इककतालिस लाख बाईस हजार छ सौ तिरयानवे) रुपये की शुद्ध मूलधन राशि को सही मानता है।

अनावेदक ने केवल प्रकथन एवं हलफनामों के माध्यम से अपने कर्मचारियों की गवाही दाखिल करने के माध्यम से अपना बचाव करने की कोशिश की है क्योंकि वर्तमान विवाद की प्रकृति संविदात्मक है इसलिए किसी भी प्रकथन आरोपों को वर्तमान परिदृश्य में दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता होती है। अनावेदक द्वारा दायर किए गए दस्तावेजी साक्ष्य दिनांक 21.04.17 और दिनांक 07.03.18 दिनांकित पत्र जो अनावेदक द्वारा अपनी देयता को स्वीकार करते हुए लिखे गए है, विरोधाभासी हैं और कानूनी तौर पर अनावेदक का बचाव नहीं करते हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सीए प्रमाणित लेजर से स्पष्ट है कि आवेदक पर बकाया जिन भुगतानों का उल्लेख अनावेदक ने अपने काउंटर क्लेम में किया है उनको भी आवेदक ने समायोजित कर लिया है।

मामले के तथ्यों में, विशेष रूप से आवेदक के अनुबंधों के नवीनीकरण से संबंधी में रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं अनावेदक द्वारा देयता के साथ स्वीकारोक्ति, को परिषद मानती है कि आवेदक का आवेदन दावा भुगतान योग्य है एवं अनावेदक द्वारा अनुबंध अवधि बढ़ाने से सेवा में कोई कमी/त्रुटि नही है।

अतएव "मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017 के नियम 9 अन्तर्गत पदतत शक्तियों का प्रयोग रते हुए काउन्सिल निर्णय देती है कि अनावेदक सेन्टर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टॉफ परफॉरमेंस (CRISP), मानस भवन के सामने, भोपाल द्वारा मूलधन राशि रु. 1,41,22,693/– (रू. एक करोड़ इककतालिस लाख बाईस हजार छ सौ तिरयानवे मात्र)

.....5

Scanned by CamScanner

एवं इस राशि पर दिनांक 31.10.2019 तक देय ब्याज राशि रू. 79,31,,270/– (रू. उन्यासी लाख इकतीस हजार दो सौ सत्तर मात्र) कुल भुगतान योग्य राशि रू. 2,20,53,963/– (रू. दो करोड़ बीस लाख त्रेपन हजार नौ सौ त्रेसठ मात्र) का भुगतान आवेदक मेसर्स सीनेट इंफोटेक प्रा. लि., भोपाल को आदेश दिनांक से 90 दिवस मे किया जावे।

अनावेदक द्वारा समयावधि में भुगतान न करने पर, आवेदकक अनावेदक से उपरोक्तानुसार देय कुल राशि पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 में वर्णित प्रावधान अनुसार भुगतान दिनांक तक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अधिसूचित बैंक दर का तीन गुना की दर से, मासिक आधार पर, चक्रवृद्धि ब्याज पाने का अधिकारी होगा।

अधिनियम की धारा 19 में निहित आज्ञापक प्रावधान अनुसार, अनावेदक पारित इस आदेश /अवार्ड के विरूद्ध अपील दिनांक तक की कुल संगणित ब्याज सहित मूलधन राशि की 75 प्रतिशत राशि, सक्षम प्राधिकारी/अपील न्यायालय के समक्ष जमा कर, इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील कर सकेगा।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों का प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव 'मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटशन सुविधा परिषद' भोपाल को आवेदन कर प्रति पृष्ठ हेत रू. 2/– के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

Dipali Rastogi

(दीपाली रस्तोगी)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(जी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल
एवं
अतिरिक्त महाप्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल
एवं
सहायक प्रबंधक,
एमएसएमई विकास सस्थान, भोपाल।

Scanned by CamScanner